

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2002


जयपुर, दिनांक 28 AUG 2015

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में पदस्थापित न्यायाधीशों द्वारा अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् अथवा साधारणतः 2-3 दिवस पूर्व उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने हेतु समस्या उत्पन्न हो जाती है।


मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में पदस्थापित समस्त न्यायाधीशों को निर्देशित किया जाता है कि उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम 2 सप्ताह पूर्व विभाग में उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,


27-8-15
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (राजस्थान)
2. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव
27/08/15